



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana

No. 175-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 15, 2018 (ASVINA 23, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

**संख्या 92/जीएसटी-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।  
(2) ये नियम 9 अक्टूबर, 2018 से लागू होंगे ।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 89 में, उपनियम (4ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4ख) जहां कर का भुगतान किए बिना शून्य दर प्रदायों के मद्दे उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने -

- ऐसे प्रदाय प्राप्त किए हैं, जिन पर प्रदायकर्ता ने हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 117/एसटी-2, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 1321(अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 41/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 के लाभ का उपयोग किया है; या
- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 1272(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 78/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 1299(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 79/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के लाभ का उपयोग किया है,

तो वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय, जिसका मालों के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त किए गए इनपुटों के सम्बन्ध में उपभोग किया गया है और अन्य इनपुटों या मालों के ऐसे निर्यात में उपयोग की सीमा तक इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में उपभोग किया गया है, का प्रतिदाय दिया जाएगा।”।

3. उक्त नियमों में, नियम 96 में, उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को –
- (क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 115/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, सिवाय उन प्रदायों के जहां तक उनका सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात प्रोन्नत पूंजी माल स्कीम या हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 117/एसटी-2, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 1321(अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 41/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 के सम्बन्ध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, के लाभ का उपयोग किया गया है ; या
- (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 1272(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 78/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 79/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के अधीन लाभ का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका सम्बन्ध निर्यात प्रोन्नत पूंजी माल स्कीम के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए।”।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

#### Notification

The 15th October, 2018

**No. 92/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 89, for sub-rule (4B), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4B) Where the person claiming refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supplies without payment of tax has –

- (a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.117/ST-2, dated the 24th October, 2017 or Notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1321(E), dated the 23rd October, 2017; or
- (b) availed the benefit of Notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or Notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1299(E), dated the 13th October, 2017,

the refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.”.

3. In the said rules, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have –

- (a) received supplies on which the benefit of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.115/ST-2, dated the 18th October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme or notification No. 117/ST-2, dated the 24th October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or
- (b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme.”.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.